Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में केन्द्र सरकार के कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का सामाजिक सुरक्षा सहायक 6 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *27 मार्च, सोमवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर (केन्द्र सरकार) को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके दिवंगत पिता के पेंशन, पीएफ व ईडीएलआई की राशि का भुगतान शीघ्र कराने की एवज में विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर (केन्द्र सरकार) द्वारा **8 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी चूरू इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के जयपुर में आरोपी के कार्यालय के बाहर ट्रेप कार्यवाही करते हुये विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर (केन्द्र सरकार) को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।